

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/माध्यमिक/शालादर्पण/दीक्षा/60306/2018-19/79

दिनांक :- 15.10.18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक(मुख्यालय)  
माध्यमिक शिक्षा।

विषय : DIKSHA RISE Portal पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित करने व पोर्टल पर कन्टेन्ट निर्माण कार्य की प्रभावी मोनिटरिंग बाबत।

प्रसंग : 1. शिविरा-मा/माध्यमिक/शालादर्पण/दीक्षा/60306/2018-19/59  
दिनांक :-17.9.18

2. श्रीमान अति. राज्य परियोजना निदेशक महोदय, राज. स्कूल शि. प., जयपुर के पत्रांक रा.मा.शि.प./जय/दीक्षा/2018/6968 दिनांक:27.09.18

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD), भारत सरकार द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन व विद्यार्थियों के लिए विषयवस्तु से संबंधित अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु DIKSHA Portal (<https://diksha.gov.in>) प्रारम्भ किया गया है जो वर्तमान में राजस्थान सहित पाँच राज्यों में प्रारम्भ हो चुका है। DIKSHA Portal का राजस्थान संस्करण DIKSHA RISE Portal (<https://diksha.gov.in/rj>) है।

प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी(शैक्षिक) को दीक्षा पोर्टल प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर आयोजित किये जाने वाले समस्त प्रशिक्षणों, बैठकों इत्यादि में DIKSHA RISE Portal व QR Code के बारे में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया है। वर्तमान में कक्षा 1 से 10 तक की 44 पाठ्यपुस्तकों के कठिन बिन्दुओं का चयन कर उनसे संबंधित सहायक सामग्री का निर्माण समस्त जिला प्रशिक्षण केन्द्रों (DIET's) व CTE's के माध्यम से चल रहा है। सभी प्रशिक्षण संस्थानों को आवंटित पुस्तकों पर कठिन बिन्दुओं के चयन का कार्य पूरा करते हुए दीक्षा पोर्टल पर विषयवस्तु निर्माण का कार्य 31 दिसम्बर तक पूर्ण कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। उक्त कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए दिनांक 08 व 09 अक्टूबर को शिक्षा संकुल जयपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया था, बैठक में सभी DIET's व CTE's के दीक्षा पोर्टल प्रभारी, जिला स्तर पर दीक्षा पोर्टल प्रभारी (अति. जिला शिक्षा अधिकारी, शैक्षिक), एपीसी एवं अति. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक को शामिल होने हेतु निर्देशित किया गया था। अत्यन्त खेद का विषय है कि इस बैठक में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी(शैक्षिक) की उपस्थिति अत्यन्त न्यून थी। साथ ही दीक्षा पोर्टल पर किये जा रहे कार्य की प्रगति भी अधिकांश जिलों की अत्यधिक न्यून है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी(शैक्षिक) को DIKSHA RISE Portal की सतत मोनिटरिंग हेतु पाबंद करें व DIKSHA RISE Portal हेतु आपके जिले में कार्यरत शिक्षकों, DIET's तथा CTE's को प्रदत्त कार्य की प्रभावी मोनिटरिंग करें।


उपरोक्त को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

  
(निधमल डिडेल)

आईएएस  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राज. स्कूल शि. प., जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राज. स्कूल शि. प., जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, एससीईआरटी, उदयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
6. स्टाफ ऑफिसर कार्यालय हाजा।

  
क/21/19

उपनिदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर